

Andaman Express (Hindi)

17.12.2013



जारवा आरक्षित वन क्षेत्रों में अब भी घुसपैठ जारी है?

पोर्ट ब्लेयर, 17 दिसम्बर। मध्य अंडमान के वन मंडल द्वारा अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति के सहयोग से गत 5 से 7 दिसम्बर तक मध्य अंडमान के जारवा आरक्षित वन क्षेत्र में संयुक्त गश्त चलाई गई। आरक्षित क्षेत्र में घुसपैठ गतिविधियों का पता लगाने के लिए चलाए गए संयुक्त गश्त की अगुवाई बकुलतला रेंज के रेंज अधिकारी श्री बासुदेव समंदवार ने की। क्षेत्र के मंडल वन अधिकारी की अनुमति से गश्त में अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति के कर्मचारियों की गश्त के दौरान कौशल्यमगर क्षेत्र से अनुसूची-1 प्रजाति से सम्बन्धित तीन वन्य जीव अपराधों का पता चला। दल

ने तलाशी के दौरान जारवा आरक्षित वन क्षेत्र से स्टाफ्टिक की रस्सियों से बनाए गए 193 फंदे जप्त किए। घुसपैठियों ने जारवा आरक्षित के भीतरी इलाकों के अलग-अलग जंगलों पर जाल बिछाया था, जिनका मुकसद वन्य जीवों का शिकार करना था। अभियान में किसी भी व्यक्ति अथवा दोषी का पता चल पाया है, लेकिन मामलों को दर्ज कर जांच की जा रही है। मंडल वन अधिकारी श्री अमित आनंद ने बताया कि दोषियों को पकड़ने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं और यदि वे दबोचे जाते हैं, तो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 51 के तहत दंड होगा, जिसमें जुर्माने के साथ 7 साल तक के कारावास की सजा का प्रावधान है।

मु.प्र. का कोषाधीन अनुदान
CS's Confidential Cell
Rd. No. 8459
Date 18/12/13

र.प्र. (वि.प्र.) का निजी अनुदान
Personal Section of Secretary (Law)
Rd. No. 8377
Date 18/12/13

Am

CS
Secy TW

dir (Law)

[Handwritten signature]

L.G. has seen
17/12